



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274354  
CG-DL-E-10072026-274354

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3598]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3598]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3760(अ).— चूंकि, यमन में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना, दिनांक 26 सितंबर, 2017 के तहत यमन की यात्रा के संबंध में कुछ शर्तें जारी की थीं, जो की पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 19 के अंतर्गत, भारत के राजपत्र (असाधारण) में संख्या एस.ओ. 3223(अ) दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थीं;

और क्योंकि, यमन में स्थिति थोड़ी बदल गई है;

अतः अब, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 19 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3223(अ) दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को निरस्त करती है।

[फा.सं. VI/401/01/11/2017]

बी. एस. मुबारक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

**S.O. 3760(E).**— WHEREAS due to precarious security situation in Yemen, the Central Government issued certain conditions in respect to travel to Yemen vide its notification dated the 26th September, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary vide number S.O. 3223(E) dated the 03rd October, 2017 under Section 19 of the Passports Act, 1967;

AND WHEREAS the situation in Yemen has evolved;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19 of the Passports Act, 1967 (15 of the 1967), Government hereby rescinds the notification number S.O. 3223(E) dated the 03rd October, 2017.

[F.No. VI/401/01/11/2017]

B. S. MUBARAK, Jt. Secy.